केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
168 / 08/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सैदपुर–गाजीपुर

वाद संख्या– 2116 धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता

मौजा– तेलियानी परगना–खानपुर

बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय तेलियानी बहदिया, गाजीपुर प्रबन्धक परशुराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव निवासी ग्रा व पो0 बहदिया परगना– खानपुर, जनपद– गाजीपुर ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मौजा– तेलियानी परगना खानपुर स्थित आराजी सं0 104 क रकबा 1.2310 हे0 में से रकबा 0.7905 हे0 व आ0 न0 104ख रकबा 1.2370 हे0 मे से 0.7905 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है । प्रार्थना पत्र की जाच आख्या तहसीलदार दिनाक 01.11.2017 को मैने पत्रावली एव जांच आख्या को अच्छी प्रकार से अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धहरण खतौनी 1428 से 1433 फसली के गाटा सं0 104 क रकबा 1.2310 हे0 मे से रकबा 0.7905 हे0 व आ0 न0 104ख रकबा 1.2370 हे0 मे से 0.7905 हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो ।

तहसीलदार ने अपनी आख्या मे स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य मे न होकर आबादी के रूप मे हो रहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है ।

आदेश

अतः आख्या तहसीलदार दिनाक 01.11.2017 की पुष्टि की जाती है, और मौजा– तेलियानी परगना खानपुर, स्थित आराजी संख्या 104 क रकबा 1.2310 हे0 मे से रकबा 0.7905 हे0 व आ0 न0 104ख रकबा 1.2370 हे0 मे से 0.7905 हे0 कुल दो गाटा का उपलब्ध रकबा 1.5810 हे0 यानि 15810 वर्गमीटर को कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ अकृषिक लगान मुक्त घोषित किया जाता है । वाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार मे संचित हो ।

दिनांक– 16.11.2017

उपजिलाधिकारी

आज का निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित एव घोषित

उपजिलाधिकारी

सैदपुर